IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, November 2025
Impact Factor: 7.67

रीवा जिले में औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापार की स्थापना का अध्ययन

डॉ. बी.बी. व्यौहार
प्राध्यापक, शोध–निर्देशक
अर्थशास्त्र विभाग, ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

कीर्ती सिंह
शोधार्थी, एम.ए. अर्थशास्त्र
ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

शोध–सारांश :–

जिले में उद्योग बिहार में भूमि आवंटन का कार्य ''औद्योगिक केन्द्र विकास निगम'' द्वारा किया जाता है। इसके लिए रीवा में भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत'' म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित रीवा का गठन 16.11.1981 को किया गया। यह निगम एम.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 भोपाल की सहायक कम्पनी है, निगम का गठन रीवा परिक्षेत्र में औद्योगिक केन्द्रों के विकास संधारण एवं संचालन के लिए किया गया है। निगम द्वारा चार विकास केन्द्र, उद्योग बिहार रीवा, उद्योग द्वीप बैढ़न जिला सीधी, उद्योग गिरि पुरैना जिला पन्ना एवं औद्योगिक क्षेत्र मैहर जिला सतना विकसित किए गए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा में स्थापित उद्योगों की स्थापना में हुए कार्यों का अध्ययन शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द :–रीवा, औद्योगिक, इकाइयां, व्यापार, स्थापना उद्योग, संचालन आदि।

प्रस्तावना :–

उद्योग बिहार रीवा से 6 किमी. की दूरी पर स्थित है। विकास केन्द्र का क्षेत्रफल 133.60 हेक्टेयर है, जिसमें 05 वृहद् एवं 55 मध्यम उद्योग स्थापित है, जिसमें 21212.00 लाख की पूंजी का निवेश किया गया है। जिसमें 1025 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। उद्योगों के प्रयोजन हेतु 4 हे0 तक भूमि आवंटन का अधिकार केन्द्र के प्रबंधक संचालक को होता है। 4 हेक्टेयर से ऊपर भूमि के आवंटन का अधिकार नगर निगम अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद प्रबंध संचालक को होता है। 2004 से पूर्व उद्यमी को 99 वर्ष के पट्टे पर जमीन प्राप्त हो सकती थीं, परन्तु 2004 में पट्टे की अवधि 30 वर्ष कर दी गयी, तथा भूमि पट्टे पर सन् 2008 में संशोधन के बाद यह अवधि 30 व 99 साल दोनों ही कर दी है। वर्तमान में उद्योग बिहार में मुख्यतः राइस मिल, वोनेन सेक, ट्रान्सफार्मर निर्माण, स्नोसेम, फेब्रीगेटिंग, पेन्ट आदि की इकाईयों में है। उद्योग बिहार द्वारा भूमि पर प्रीमियम शुल्क, विकास शुल्क तथा किराया लिया जाता है।

भूमि आवंटित करने के लिए भूमि आवंटन अधिनियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत भूमि आवंटित की जाती है। उद्योग बिहार में अब शेष भूमि लगभग 3 हेक्टेयर की ही है। इसके पश्चात् नया उद्योग बिहार गुढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जाना है। वर्ष 2024–25 में घूमा कटरा में नवीन औद्योगिक केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है यहां पर अनेकों भूमि औद्योगिक विकास के लिए आवंटित की जा रही है लोगों में नये उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक घरानों का सर्वे चल रहा है और नवीन औद्योगिक इकाईयां शीघ्र ही स्थापित होंगी।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 4, November 2025 Impact Factor: 7.67

तालिका क्र. 1.म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्या, रीवा

भू आवंटन की प्रब्याजी, भू–नाटक, विकास शुल्क, संधारण शुल्क, प्रत्याभूति आदि की दरें

सं. क्र.	औ. क्षेत्र का नाम	संचालक मंडल की बैठक क्रमांक एवं दिनांक जिसमें दर स्वीकृत हुई	लघु उद्योग दरें (रु. प्रति वर्ग मी.)			वृहद / मध्यम उद्योग दरें			भू–भाटक प्रति वर्ष (प्रब्याजी का)	प्रत्याभूमि (वार्षिक भू–भाटक का)
			प्रब्याजी	विकास शुल्क	कुल	प्रब्याजी	विकास शुल्क	कुल		
1.	औद्योगिक क्षेत्र उद्योग बिहार रीवा जिला रीवा	85 / 09.09.2008	70.00	90.00	160.00	90.00	110.00	200.00	3 प्रतिशत	3 गुना
2.	विकास केन्द्र, उद्योग गिरि पुरैना जिला पन्ना	77 / 23.01.2007 (दर लागू 01.08.2006 से)	30.00	50.00	80.00	60.00	70.00	130.00	3 प्रतिशत	3 गुना
3.	औ. क्षेत्र उद्योग धाम मैहर जिला सतना	77 / 23.01.2007 (दर लागू 01.08.2006 से)	45.00	15.00	60.00	60.00	20.00	80.00	3 प्रतिशत	3 गुना
4.	औ. क्षेत्र उद्योग द्वीप बैढ़न जिला सिंगरौली	90 / 02.09.2009	100.00	150.00	250.00	150.00	150.00	300.00	3 प्रतिशत	3 गुना

स्त्रोत – औद्योगिक विकास केन्द्र, रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन।

प्रोसेसिंग फीस एवं संधारण शुल्क आदि –

(1) प्रोसेसिंग फीस (भू आवंटन आवेदन पत्र के साथ एक बार) मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम – 2008 की कंडिका क्रमांक (xi) के अनुसार लघु उद्योग हेतु 2000/– एवं वृहद्/मध्यम उद्योग के लिए रु0 10000/–

(2) साधारण शुल्क –

क्षेत्रफल 50000 वर्ग मी. तक रु0 3.50 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

क्षेत्रफल 50001 वर्ग मी. से 500000 वर्ग मी. तक रु0 3.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

(न्यूनतम रु0 175000 रु0 एक लाख पचहत्तर हजार)

क्षेत्रफल 500001 वर्ग मी. एवं उससे अधिक के लिये रु0 250 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

(न्यूनतम रु0 1500000 रु0 पन्द्रह लाख)

संधारण–शुल्क से संबंधित नियम –

(1) पूर्व आवंटितों को संधारण शुल्क दिनांक 01.08.2006 से नई दरों से देय होगा।

(2) संचालक मंडल की बैठक क्रमांक 79 दिनांक 20.06.2007 में पारित अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक 01 के निर्णय अनुसार निगम के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्रों में दिनांक 01.08.2006 के पूर्व की आवंटी इकाईयों पर वार्षिक संधारण व्यय की गई राशि उनके द्वारा पूर्व में देय संधारण राशि से दो गुनी से ज्यादा नहीं होगी, यद्यपि गणना हेतु संधारण शुल्क की दरें दिनांक 01.08.06 से लागू दरों अनुसार ही होगी, जो कि संचालक मंडल की 77वीं बैठक दिनांक 23.01.2007 को अनुमोदित की गयी है।

(3) 5 वर्ष अधिक की संधारण शुल्क की राशि एक मुश्त देने पर 20 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

(4) इकाई को अविकसित भूमि का आवंटन मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम – 2008 के अनुसार किया जायेगा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 4, November 2025 Impact Factor: 7.67

(5) मध्यप्रदेश राज्य औद्योगि भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम – 2008 की कंडिका 9(ii) 4 के अनुसार 80′ फुट चौड़ी सड़क पर अवस्थित भूखण्डों हेतु/भवन हेतु एवं कोने के भूखण्डों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रव्याजी ली जावेगी। प्रबंधन नियम 2008 की कंडिका 9(ix) के अनुसार पट्टाभिलेख में सामान्य संशोधन शुल्क जो अन्यथा उल्लेखित नहीं है, रुपये 1000/– होगा।

(6) कंडिका 25 के अनुसार निरस्ती आदेश के विरुद्ध अपील शुल्क लघु उद्योगों के लिये रु0 2000/– तथा वृहद्, मध्यम उद्योग के लिये रु0 10000/– देय होगी।

(7) अनुशांगिक प्रयोजन हेतु प्रबंधन नियम 2008 के खण्ड ब परिशिष्ट ए के अनुसार दरें लागू होगी।

अन्य दरें –

(1) हस्तांतरण शुल्क, नये नियमों के अनुसार प्रचलित प्रब्याजी का 20 प्रतिशत देय होगा। साथ में 100 प्रतिशत विकास शुल्क दिया जाना होगा। हस्तांतरण प्रकरणों में भूभाटक, प्रत्याभूति एवं संधारण शुल्क वर्तमान प्रचलित दरों से दिया जाना होगा।

(2) वाणिज्यिक दर – वृहद, मध्यम उद्योग हेतु भू आवंटन की कुल दर का 5 गुना।

(3) ब्याज दर – सभी लंबित राशियों पर 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज पृथक से देय होगा।

(4) जल प्रभार – म.प्र. ए.के.व्ही.एन. रीवा द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर अनुसार देय होगी।

तालिका क्र. 2. औद्योगिक क्षेत्र उद्योग बिहार रीवा स्थित स्थापित औद्योगिक इकाइयों की जानकारी

क्र.	इकाई का नाम एवं पता	भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्ग मी.	प्रस्तावित /स्थायी पंजीयन क्र. दि.	उत्पाद	उत्पादन दिनांक	वार्षिक लीजरेंट	वार्षिक विकास व्यय	पूंजी निवेश (लाख में)	रोजगार		बंद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	मे. शारदा फैब्रीकेटिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग प्रो. श्री विनोद श्रीवास्तव डॉ0 के.एल. अग्रवाल के पीछे खुटेही रीवा	एस–18	743	10/31/03211/स्थायी/ल.उ. 29.06.85	स्टे. सेट विकास यू क्लेम फोरपिन। अतिरिक्त आयटम जोड़ने का दिनांक 24.07.98 स्टील फैब्री, ट्रॉली	04.06.85 अतिरिक्त आइटम का 01.02.98	98.00	4458.00	3.51	12	कार्यरत	–
2.	प्रो. मे. इंजीनियरिंग एंड पल्व इंड. द्वारा– मे. रवी फैन इंड. बिग इंडस्ट्रीयल स्टेट चांदपुर वाराणसी (उ.प्र.)	11	4180	10/31/03663/स्थायी/ल.उ. 17.01.86	इलेक्ट्रिक्स फैन, टेविल सीलिंग एवं पैडस्टल फैन	17.12.95	20.00	25080.00	10.55	17	–	बंद
3.	मे. इंडियन केवल इंड. भागी, श्री अनिल सिंह अनिल फर्नीचर मार्ट नारेन्द्र	08	4180	10/31/04168/स्थायी/ल.उ. 18.08.87	पी.व्ही.सी. कापर वायर, एल्यूमीनियम वायर,	05.07.87	21.00	25080.00	10.42	14	–	दि0 01.09.05 को पंजीयन

DOI: 10.48175/IJARSCT-29907

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, November 2025
Impact Factor: 7.67

	नगर रीवा				फ्लेक्सिबल वायर							निरस्त
4.	मे. ग्लूको हेलाइट फार्मास्यूटिकल्स प्रथम तल, चौरसिया नर्सिंग होम जेल रोड रीवा म.प्र.	6 एवं 7 का भाग	8361.27	10/31/04230/स्थायी/ल.उ. 19.11.87	सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रो लाइट्स, एसीडी. सलूसन	16.11.87	172.00	50168.00	63.49	21	–	दि0 01.09.05 को पंजीयन निरस्त
5.	मे. साची टाइल्स प्रो. विनोद सिंह 101–2 वेंकट रोड रीवा	23	4180	10/31/04309/स्थायी/ल.उ. 16.03.88	फ्लोरिंग टाइल्स एवं स्टोन टाइल्स	10.03.88	104	25080.00	16.60	18	–	बंद दि0 01.09.2005 को पंजीयन निरस्त
6.	मे. ऊडेन ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग औ. क्षेत्र उद्योग बिहार रीवा	12	4180	10/31/04350/स्थायी/ल.उ. 28.05.88	ऊडेन ड्रम जॉब वर्क, ट्रीएडेड गुड	05.03.87	105.00	25080.00	4.67	40	कार्यरत	–
7.	शिवा इलेक्ट्रीकल्स भागी श्री शिवकुमार ताम्रकार, गुढ़ चौराहा रीवा म.प्र.	99,100	4180	10/31/045575/स्थायी/ल.उ. 06.01.89	विद्युत पंखे,	25.12.88 विस्ता, 12.12.94	345.00	25080.00	9.64	26	–	बंद 17.08.05 को पंजीयन निरस्त
8.	पर्ल इंडस्ट्रीज प्रो. रजनीश कुमार अग्रवाल, नया तालाब सतना म.प्र.	एस 2, 3	1486	10/31/04659/स्थायी/ल.उ. 09.03.89	पीव्हीसी एवं पी.ई. कम्पाउण्ड	2–1989	446.00	8916.00	80.56	23	–	बंद 01.09.05 को पंजीयन निरस्त
9.	विन्ध्याप्रीक्योर्ड टायर रिट्रेडिंग भागी– श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जय स्तम्भ चौक, रीवा	84	2090	10/31/04769/स्थायी/ल.उ. 30.08.89	टायर रिट्रेडिंग	02.04.89	138.00	12540.00	7.04	09	कार्यरत	–
10.	मे. कुंगसन टाइल्स प्रो. श्री सुशील कुगवानी 226–16 ई.सी.आई. स्कूल के पास अर्जुन नगर रीवा	20	37650	10/31/04953/स्थायी/ल.उ. 30.11.89	मोजेक टाइल्स, केनाल टाइल्स	15.10.89	231.00	20982.00	5.71	12	–	01.09.05 को पंजीयन निरस्त
11.	विन्ध्या कन्ड्यूट पाइप भागी, श्री प्रणवीर सिंह एवं अन्य 2 गंगेव हाउस, 60–130 वेंकट बटालियन रीवा	24	4180	10/31/05117/स्थायी/ल.उ. 07.09.90	पी.वी.सी. पाइप एवं पी.वी.सी. फिटिंग	06.07.90	21.00	25080.00	7.76	08	–	बंद 01.09.05 को पंजीयन निरस्त
12.	मे. राज इंडस्ट्रीज प्रो. श्री आर.के. अठोत्रा गोल पार्क बस स्टैंड रीवा	27	2090	10/31/05117/स्थायी/ल.उ. 07.09.90	आटो बैट्री, प्लेट्स	08.04.91	272.00	12540.00	6.00	05	–	बंद 01.09.05 को पंजीयन निरस्त

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429

Volume 5, Issue 4, November 2025

Impact Factor: 7.67

13.	मे. मोहन बर्तन उद्योग संचालक श्री बैजनाथ अग्रवाल, पंसारी टोला मिर्जापुर उ.प्र.	एस–5	743	10/31/05430/स्थायी/ल.उ. 29.07.91	नानफेरस मेटल (इनगाट्स)	28.06.91	88.00	4458.00	1976.00	14	–	बंद 01.09.05 को पंजीयन निरस्त
14.	मे. गोगिया फूड प्रोडक्ट्स प्रो. श्री केवलराम नशानी, फोर्ट रोड रीवा	21	3721	10/31/05546/स्थायी/ल.उ. 13.11.91	कन्फेक्सरी, टाफी	01.09.91	246.00	12326.00	13.90	07	कार्यरत	–
15.	गोल्ब्रोफार्मास्यूटिकल्स श्री राजीव कुमार अग्रवाल, मकान नं. 566 वार्ड नं. 8 आयकर ऑफिस के पास गोयल मार्केट रीवा	22	3964	10/31/05547/स्थायी/ल.उ. 23.11.91	फार्मास्यूटिकल्स	10.09.91	262.00	23784.00	10.98	06	कार्यरत	–
16.	मे. अव्वल मैन्यूफैक्चरिंग श्री वी.एस. सेठी, द्वारा श्री ड.एस. साहनी ढेकहा रीवा	96	2090	10/31/05603/स्थायी/ल.उ. 13.01.92	लीफ स्प्रिंग एक्सेल	25.10.91	627.00	12540.00	34.73	19	कार्यरत पहले प्रोपराइटर शिप में थी 17.01.92 से पार्टनरशिप में हुई	–
17.	विन्ध्या स्टोन एंड मार्वल प्रो. श्री सुधीर सिंह तमेर फिलिंग स्टेशन के पास रतहरा रीवा	51	1045	10/31/06474/स्थायी/ल.उ. 23.11.91	स्टोन टाइल्स	20.10.92	133.00	6270.00	1.84	04	–	बंद 17.08.05 को पंजीयन निरस्त
18.	प्रभा पोलीथीन प्रोडक्ट्स	45	2090	10/31/06296/स्थायी/ल.उ. 16.12.92		22.10.92	247.00	12540.00	17.36	07	–	बंद 17.08.05 को पंजीयन निरस्त
19.	वाराणसी फैन इंड. द्वारा रवी फैन इंड. प्लाट नं. 195 बिग इंड. स्टेट चांदपुर वाराणसी उ.प्र.	28, 29, 23, 44	8361	10/31/06528/स्थायी/ल.उ. 30.07.93	इलेक्ट्रिक फैन	20.07.93 विस्ता. 10.10.93	2508	50166.00	79.18	27	–	बंद 17.08.05 को पंजीयन निरस्त
20.	मे. श्री सच्चा प्लास्टिक उद्योग भागी – श्री अजय कुमार अग्रवाल एम.आई.जी. 27 हाउसिंग बोर्ड कालोनी रीवा	52	1045	10/31/06861/स्थायी/ल.उ. 28.06.94	पी.व्ही.सी. पोलीथीन गार्नेल्स	05.05.94	438.00	6270.00	3.50	04	–	बंद 01.09.05 को पंजीयन निरस्त
21.	सिगनेट कान्डेक्टर्स जी.एस. साहनी बसेरा सतना रोड ढेकहा रीवा	2, 3	8361	10/31/06937/स्थायी/ल.उ. 30.09.94	इन्सूलेटेड वायर	20.08.94	1088	50166.00	176.09	15	कार्यरत	

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 4, November 2025 Impact Factor: 7.67

22.	मे. सिंह मैन्युफैक्चर्स प्रो. श्री सतनाम सिंह पिता श्री चरण सिंह शास्त्री नगर अमहिया रीवा।	31	2090	10/31/06945/स्थायी/ल.उ. 30.09.94	आटोमोबाइल कम्पोनेन्ट्स	27.09.94	863.00	12540.00	24.07	16	कार्यरत	–
23.	मे. रूबी पेन्ट्स प्रो. श्रीमती सुधारानी ताम्रकार, पत्नी श्री जगदीश चन्द्र ताम्रकार आनंद निवास रीवा	एस–6	743	10/31/07127/स्थायी/ल.उ. 17.07.95	सिन्थेटिक एनामिल, रेड ऑक्साइड प्रीमियर	01.12.94	100.00	4458.00	5.30	07	कार्यरत	–
24.	इन्टरनेशनल आटो इलेक्ट्रिक कार्बन ब्रस मैन्यु, प्रो. वी.पी. सिंह एम.आई.जी. 110 पद्मधर कालोनी रीवा	48	1045	10/31/07168/स्थायी/ल.उ. 31.03.95	कार्बन ब्रस फाइवर	26.02.95	124.00	6270.00	11.53	09	कार्यरत	–

स्त्रोत– औद्योगिक विकास केन्द्र, रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन

आवंटन हेतु आवेदन –

1. भूमि, औद्योगिक शेड आवंटन हेतु आवेदन पत्र महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक जिनके कि क्षेत्राधिकार में भूमि, औद्योगिक शेड स्थित है, को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न सहपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जावेंगे –

(1) औद्योगिक, आनुसांगिक गतिविधि की परियोजना जिसमें यंत्र–संयत्र उपकरण तथा इनसे सुसंगत औद्योगिक शेड, तैयार एवं कच्चे माल के गोडाउन, ऑफिस के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र का विस्तृत विवरण हो।

(2) परियोजना में दर्शित निर्मित क्षेत्र का प्रस्तावित मानचित्र।

(3) निर्मित क्षेत्र, शेड की लागत का आंकलन।

(4) परियोजना लागत की वित्तीय व्यवस्था का विवरण।

2. औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ आवंटन योग्य भूमि के 80 प्रतिशत से अधिक भूमि का आवंटन हो चुका हो, में भूमि उपलब्ध होने पर नीलामी प्रक्रिया से इसका आवंटन किया जाएगा।

3. 'स' श्रेणी के जिलों के उद्योग शून्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रथम तीन उद्योगों को आवंटन होने तक आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जावेगा।

आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया – सभी औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भूमि, भवन, औद्योगिक शेड आवंटन हेतु आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदक के भू–खण्ड, शेड की आवश्यकता एवं मात्रा का प्राथमिक आंकलन कर विधिवत पूर्ण आवेदन पत्रों को प्रतीक्षा सूची पंजी में तत्काल प्रविष्ट करेंगे। भूमि, भवन के आवेदन का निराकरण 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' सिद्धांत अंतर्गत आवेदन क्रम से किया जावेगा।

2. ऐसी भूमि, जो उद्योग विशेष के लिए औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित, अर्जित की गई है, का भी आवंटन आवेदन पत्र प्राप्त कर नियमों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया से किया जावेगा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 4, November 2025 Impact Factor: 7.67

3. एक ही दिन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस दिन के आवेदन का वरीयताक्रम लाटरी पद्धति से निर्धारित किया जावेगा। भू–खण्ड, भवन हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत आवेदक को पात्रता होने पर आवश्यकता, मांग एवं उपलब्धता को ध्यान रखते हुए अनिवार्य रूप से पन्द्रह दिन में निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी कर दिया जायेगा। आशय पत्र के साथ आवेदन की सहमति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र का निर्धारित प्रारूप भी संलग्न किया जायेगा।

पट्टे की सामान्य शर्तें –

1. पट्टाग्रहीता पर भूमि के प्रकरणों में प्रतिवर्ष एक अप्रैल को आगामी वर्ष का भू–भाटक देय होगा। जिसका भुगतान उसे 30 अप्रैल तक करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि के उपरांत देय राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।

2. नये आवंटी से आवंटन के समय उन्हीं तीन महीने का भू–भाटक लिया जायेगा जो संबंधित वित्तीय वर्ष पूर्ण होने हेतु शेष बचे हों।

3. पट्टाग्रहीता पर एक वर्ष की अवधि का वार्षिक भू भाटक, शेड किराया शुल्क बकाया होने पर लीजडीड निरस्त की जा सकेगी। यदि पट्टाग्रहीता सम्पूर्ण देय राशि ब्याज सांहत एकमुश्त अदा करता है तो आवंटन अधिकांश प्रचलित प्रब्याजि की 10 प्रतिशत राशि लेकर पट्टा पुनः निरंतर कर सकेगा।

4. भू भाटक, भवन किराया अथवा संधारण शुल्क में पट्टादाता द्वारा समय–समय पर की जाने वाली पुनरीक्षित दर अनुरूप देय राशि का भुगतान पट्टाग्रहीता को करना होगा।

पट्टे की अवधि –

पट्टे की अवधि भूमि के लिये अधिकतम 99 वर्ष तथा औद्योगिक शेड हेतु अधिकतम 30 वर्ष होगी। भूमि के लिए आवेदक इकाई के अनुरोध पर आवंटन अधिकारी द्वारा प्रकरण की स्थिति के अनुसार 99 वर्ष से कम अवधि, तीस वर्ष हेतु पट्टा निष्पादित किया जा सकेगा।

परियोजना का क्रियान्वयन

1. इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करना –

प्रत्येक पट्टाग्रहिता को भूमि, शेड का आधिपत्य प्राप्त कर पट्टा अंतर्गत दर्शित प्रयोजन एवं भू–आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अपनी परियोजना क्रियान्वित करनी होगी। इस हेतु सभी आवश्यक प्रभावशील कदम उठा कर नियमान्तर्गत भवन निर्माण कर यंत्र–संयंत्र की स्थापना करके निम्नानुसार समयावधि में उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करना होगा, समयावधि की गणना इकाई द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से होगी –

(1) लघु उद्योग के मामले में अधिपत्य दिनांक से दो वर्ष।

(2) वृहद, मध्यम उद्योग के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष।

(3) उपरोक्त समय–सीमा में प्रस्तावित परियोजना का 25 प्रतिशत स्थायी पूंजी निवेश होने की दशा में महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक द्वारा दोनों श्रेणी के मामलों में 6 माह की क्रियान्वयन समयावधि में प्रथम वृद्धि पट्टाग्रहीता के सप्रमाण आवेदन करने पर की जा सकेगी।

(4) उपरोक्त समयावधि व्यतीत होने के उपरांत महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक प्रब्याजि का 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क प्राप्त कर दोनों श्रेणियों में पुनः 6 माह का समय प्रकरण के गुण दोष के आधार पर बढ़ा सकेंगे। तदोपरांत भी उत्पादन प्रारंभ न हो पाने की दशा में महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक से उच्च अधिकारी प्रब्याजि का 15 प्रतिशत विलम्ब शुल्क लेकर दोनों श्रेणियों में अंतिम रूप से एक वर्ष की समयावधि बढ़ा सकेंगे।

(5) प्रत्येक समयावधि वृद्धि हेतु इकाई को समाधानकारक कारणों सहित आवेदन संबंधित अधिकारी हो, पूर्व प्रदत्त समयावधि के समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

2. आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करना –

इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष के अन्दर, भूमि का आवंटन हेतु आवेदन प्रसतुत करने के समय सूचित 'निर्मित आवृत्त–क्षेत्र' एवं तल क्षेत्र तथा परियोजनानुसार यंत्र–संयंत्र की स्थापना कर भूमि का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक होगा। इस अवधि के उपरांत भूमि का पूर्ण उपयोग इकाई द्वारा न किये जाने पर 10 प्रतिशत प्रब्याजि लेकर एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि पट्टादाता अधिकारी बढ़ा सकेंगे। इसके उपरांत भी पूर्ण उपयोग न करने पर निर्मित क्षेत्र के आधार पर कुल भूमि की पात्रता का आंकलन कर इकाई के आधिपत्य की शेष भूमि इकाई को समर्पित करनी होगी। ऐसा न करने पर आवंटन, पट्टादाता अधिकारी ऐसी अतिशेष भूमि (का आवंटन, पट्टा निरस्त कर) का कब्जा प्राप्त कर सकेंगे। यदि अतिशेष भूमि पृथक इकाई को आवंटन योग्य नहीं है तो मूल आवंटी से प्रतिवर्ष प्रब्याजि की 5 प्रतिशत दाण्डिक राशि ली जायेगी। इस राशि का भुगतान न करने पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

उपरोक्त नियम उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी जहां भूमि, शेड आवंटन के समय कोई समय–सीमा राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित, अनुबंधित हो। ऐसे प्रकरणों में समय–सीमा बढ़ाने तथा अन्य कार्यवाही के अधिकार राज्य शासन को होंगे।

हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया –

हस्तांतरण, अंतरण से तात्पर्य –

इकाई की स्थापना एवं विकास के अनुक्रम में भूमि/शेड आवंटन के मूल आवेदक/प्रवर्तक द्वारा इकाई के नाम, वैध संगठन–गठन के रूप में किए गए परिवर्तन को अंतरण माना जावेगा, यदि सर्वाधिक अंशधारक मूल आवंटी का अंश, हिस्सा ऐसा परिवर्तन करने पर सर्वाधिक न रह कर कम हो जाए, अथवा मूल प्रवर्तक, आवेदक इकाई से अलग हो जावे। स्पष्टतया स्वामित्विक से भागीदारी, कंपनी, भागीदारी से कंपनी बनाने में वैध संगठन, गठन के स्वरूप मे किए गए परिवर्तन को अंतरण नहीं माना जावेगा, यदि मूल आवंटी, अंशधारकों के ऐसा परिवर्तन करने पर नये वैध संगठन में सर्वाधिक अंश रहते हैं।

उदाहरण –

1. इकाई के नाम परिवर्तन का उदाहरण – मेसर्स ए का नाम परिवर्तन मेसर्स ए संस, मेसर्स बी आदि स्वामित्विक में बिना परिवर्तन के होता है, तो अंतरण नहीं माना जावेगा।

2. वैध संगठन – गठन स्वरूप के परिवर्तन का उदाहरण –

मेसर्स ए स्वामित्विक इकाई के मूल स्वामी, अंशधारक श्री बी का स्वामित्विक परिवर्तन होकर यदि भागीदारों की भागीदारी फर्म, कंपनी बनाते हैं, तो इस भागीदारी फर्म, कंपनी में श्री बी की सर्वाधिक भागीदारी, अंशधारिता होने पर, यह अंतरण नहीं माना

जावेगा, किन्तु जब स्वामी बी की भागीदारी, अंशधारिता सर्वाधिक भागीदारी, अंशधारिता से कम हो जावे अथवा वे भागीदारी फर्म, कंपनी से बाहर हो जावे, तो यह अंतरण माना जावेगा।

हस्तांतरण की शर्तें –

1. शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार निगम, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की मूल आवंटी, पट्टेदार से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियाँ मूल पट्टेदार अथवा नए आवंटी द्वारा हस्तांतरण पूर्व एकमुश्त चुकानी होगी। बैंक, वित्तीय संस्था द्वारा अधिग्रहित इकाई किसी अन्य पट्टेदार की हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण तभी प्रभावशील होगा जब बैंक, वित्तीय संस्था अथवा नवीन इकाई राज्य शासन की मूल पट्टेदार से प्राप्त होने वाली लेनदारी का भुगतान कर दे तथा नये आवंटी के पक्ष में पट्टाविलेख निष्पादित करावें।

2. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के विकास केन्द्रों में अवस्थित इकाई के हस्तांतरण पर प्रब्याजि का बीस प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क सहित प्रचलित दर पर भू–भाटक, प्रतिभूति राशि, संधारण शुल्क देय होगा। अन्य औद्योगिक क्षेत्र, जिनका संधारण संचालन एवं भूमि आवंटन उद्योग के अधीन हैं, में अवस्थित इकाई के हस्तांतरण पर प्रचलित दर पर प्रब्याजि का सौ प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क सहित प्रचलित दर पर भू–भाटक, प्रतिभूति राशि, संधारण शुल्क देय होगा।

हस्तांतरण हेतु प्रक्रिया –

1. यदि मूल पट्टेदार निर्मित फैक्ट्री भवन, स्थापित मशीनरी का विक्रय करता है वो ऐसी विक्रय हो रही परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए एक विक्रय अनुबंध क्रेता एवं विक्रेता के मध्य निष्पादित किया जावेगा एवं इसके साथ हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरणाधीन भूमि, शेड के हस्तांतरण की अनुमति हेतु भू–आवंटनकर्ता अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ अग्रिम अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। वहाँ भूमि, शेड के विक्रय की तिथि से अधिकतम तीन माह के अंदर आवेदन करना आवश्यक है, अन्यथा स्थिति में हस्तांतरण करने पर संविदा, अंतरण तिथि से आवेदन तिथि तक किराए का तीन गुना भू–भाटक, शेड किराया भुगतान करना होगा।

विभाग की देयताओं का भुगतान करने के ही साथ बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय विभाग की देनदारी के बारे में नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि ''ऐसी समस्त देनदारियों का दायित्व हस्तांतरणग्रहीता का होगा।''

हस्तांतरण की अनुमति के अधिकार –

उपरोक्त शर्तों के अधीन भूमि, भवन, शेड के लघु उद्योगों के प्रकरणों में महाप्रबंधक, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा तथा वृहद व मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा हस्तांतरण अनुमति दी जा सकेगी। जहाँ भूमि, भवन, शेड का आवंटन राज्य शासन द्वारा किया गया हो, उन प्रकरणों में हस्तांतरण अनुमति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी।

आवंटत शेडों का भाड़ाकय पद्धति के अन्तर्गत विक्रय –

1. मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में, अन्यत्र, शासन, निगमों द्वारा निर्मित भवन के लिए भाड़ा क्रय योजना निम्न व्यक्तियों, फर्म, संस्था, कंपनी आदि के संबंध में लागू होगी।

(1) जिन्हें विभाग, निगमों द्वारा निर्मित भवन आवंटित हो।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, November 2025
Impact Factor: 7.67

(2) वे योजना के अंतर्गत लाभ उठाने की सहमति देने के दिनांक को तथा उसके दो वर्ष पहले से आवंटित भवन में उद्योग चला रहे हैं।

(3) वे आवेदन के दिनांक को किराये एवं संधारण शुल्क के बकायादार न हो।

2. इस योजना के अंतर्गत केवल भवन भाड़ा क्रय पर दिये जा सकेंगे, भूमि नहीं। भूमि जिस पर भवन निर्मित है, तथा पास की खुली भूमि नियमों में वर्णित अवधि की लीज पर दी जायेगी, जिसके लिए लीजडीड अलग से निष्पादित करनी होगी। खुली भूमि तथा शेड अंतर्गत निर्मित क्षेत्र की भूमि सम्मिलित कर आवंटन योग्य कुल भूमि की मात्रा नियमों के अंतर्गत भूमि की मात्रा का निर्धारण सम्बन्धी नियम से शासित होगी।

वित्तीय संस्थाएँ

म0प्र0 एवं जिले में उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता देने वाले कई वित्तीय महत्व एवं नियम है। जिनमें प्रमुख संस्थाएँ/निगम निम्न है–

1. भारतीय उद्योग विकास बैंक।
2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
3. राष्ट्रीय लघु निगम (एन.एस.आई.सी.)
4. राज्य उद्योग निगम (S.F.C.S) (म0प्र0 वित्त निगम)
5. जाज्य उद्योग निगम (म0प्र0 उद्योग निगम)
6. मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम
7. आवसयिक बैंक तथा उनकी लघु क्षेत्र हेतु योजनाएँ।

व्यापारिक बैंक तथा जिले के औद्योगिक विकास में उनका योगदान –

उद्योग की दीर्घ तथा मध्यम अवधि का ऋण राज्य वित्त निगम, सिडबी तथा राज्य उद्योग निगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः व्यापारिक बैंक भी आवधिक ऋण (टर्मलोन) देते हैं। इस तरह का ऋण जमीन खरीदने फैक्ट्री एवं भवन बनाने, रोड बनाने, मशीन तथा उपकरण खरीदने में किया जाता है। आवधिक ऋण की सुरक्षा के लिए भूमि भवन, मशीनें उपकरण एवं भंडारों को गिरवी रख लिया जाता है। कार्यशील पूंजी के जरिए ही माल की खरीदी, दैनिक खपत की सामग्री की खरीदी, वेतन का भुगतान छोटे–छोटे निर्माण कार्य, प्रकाश व पानी व्यवस्था, तात्कालिक खर्च तथा प्रशासनिक खर्चों को पूरा किया जाता है। ऐसे ऋण आमतौर पर व्यापारिक बैंकों से प्राप्त किये जा सकते हैं। बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाई एवं उद्योगों की वित्तीय जरूरतों में अंतर होता है क्योंकि बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय व्यवस्था सामान्यतः सुदृढ़ होती है किन्तु छोटे पैमाने की लघु इकाईयाँ छोटी पूँजी व व्यक्तिगत पूँजी पर आधारित होती है। इसलिए लघु उद्योगों की वित्तीय जरूरतों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है –

उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ –

सभी प्रकार के उद्यमियों को निम्न प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है –

1. दीर्घ तथा मध्यम अवधि ऋण

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, November 2025
Impact Factor: 7.67

2. अल्प अवधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए ऋण
3. जोखिम पूंजी
4. शुरूआती पूंजी
5. तात्कालिक ऋण

उद्योगों के लिए ''एकल खिड़की प्रणाली'' भी उपलब्ध है। इस योजना के तहत एक ही एजेंसी चाहे वह बैंक हो या कोई वित्तीय संस्थान हो आवधिक ऋण तथा कार्यशील पूंजी दोनों के लिए ऋण देती है। इस योजना में 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाले सभी लघु उद्योग आते हैं। कार्यशील पूंजी आमतौर पर निम्नलिखित सुरक्षा के बदले प्राप्त की जा सकती है।

1. कच्चा माल तथा तैयार माल को रेहन रखकर
2. वर्क इन प्रोग्रेस (कार्य प्रगति) के बदले ऋण
3. बिलों के बदले ऋण

मध्यप्रदेश वित्त निगम –

मध्यप्रदेश वित्त निगम लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य नई तथा पूर्व में स्थापित औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम तथा लम्बी अवधि के ऋण प्रदान करता है। निगम के क्रियाकलापों में नए उद्योगों की स्थापना, पूर्व तथा स्थापित इकाईयों की क्षमता में सुधार तथा विस्तार, उनके उत्पादों में विविधता तथा आधुनिकीकरण, रुग्ण तथा कम लाभकारी इकाईयों की पुनर्स्थापना तथा उन्हें अधिक लाभकारी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

निगम लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अधिक प्रयत्नशील है। निगम द्वारा सेवा क्षेत्र की इकाईयों जैसे होटल, अस्पताल एवं नर्सिंगहोम, डिपार्टमेन्टल स्टोर, इत्यादि तथा आधारभूत संरचना के विकास जैसे आवासीय कालोनियों का विकास, व्यावसायिक केन्द्रों हेतु भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय सहायता की पात्र संस्थाएँ –

निगम उन सभी औद्योगिक संस्थाओं को, जो निम्नलिखित कार्य या कार्यों में सक्रिय होना चाहती है, वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अधिकृत है।

1. वस्तुओं के निर्माण, परिरक्षण व संरक्षण हेतु।
2. खनन कार्य हेतु, होटल उद्योग हेतु।
3. सड़क, जल या वायु साधनों द्वारा यात्रियों या माल के यातायात हेतु।
4. विद्युत तथा अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण करने हेतु।
5. विभिन्न प्रकार की मशीनरी, वाहन, जलप्रोत, ट्रैक्टर या ट्रेलर्स के रखरखाव, मरम्मत, परीक्षण अथवा सुधार कार्य हेतु।
6. मशीनरी या शक्ति की सहायता से किसी वस्तु के संयोजन, मरम्मत या पैकिंग कार्य हेतु।
7. भूमि के किसी भाग के औद्योगिक संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु।
8. मत्स्य उद्योग या मत्स्योद्योग हेतु किनारों पर लगने वाले साधनों या उनके रखरखाव हेतु।
9. उद्योगों को यांत्रिकी तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन, विपणन या अन्य सेवाएँ, सुविधाएँ प्रदान करने हेतु।
10. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु आदि।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, November 2025
Impact Factor: 7.67

11. पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना एवं विकास।

निगम उन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है जिनकी प्राप्त अंशपूंजी और फ्री रिजर्व का योग रुपए 30.00 करोड़ से अधिक हो और साथ ही उन संस्थाओं को भी जिनमें निगम के संचालकों या उनके रिश्तेदारों का स्वामित्व, भागीदारी, संचालक, प्रबंधक, प्रतिनिधि, कर्मचारी या गारन्टर के रूप में कोई हित हो या जिनमें निगम के एक या अधिक संचालक या उनके रिश्तेदार दोनों महत्वपूर्ण हित रखते हों।

ऋण की सीमा –

निगम द्वारा किसी भी संस्था को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की रकम, लिमिटेड कंपनी, प्रायवेट लिमिटेड कंपनी एवं सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों के प्रकरण में अधिक से अधिक रुपये 200.00 लाख तक होगी।

परामर्श तथा प्रशिक्षण

स्वरोजगार स्थापना से पहले उद्यामिता प्रशिक्षण सभी को अनिवार्य लेना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार स्थापना करने से नवउद्यमी बड़े नुकसानों से बच सकते हैं नव उद्यमियों को प्रशिक्षण तीन संस्थाओं द्वारा दिया जाता है–

1. जिला उद्योग केन्द्र , 2. सैडमैप , 3. एम.पी. कॉन

इन संस्थाओं के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उद्यमी को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

जिसके अंतर्गत उद्यमी गुण, इकाई स्थापना के विभिन्न चरण, इकाई चयन, बाजार सर्वेक्षण स्थानीय संसाधनों पर संभावित स्वरोजगार प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण, मार्केटिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, लाइसेंसिंग, शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाएँ, बीमा प्रक्रिया, लागत निर्धारण निःशुल्क भूमि आहरण रिकार्ड कीपिंग, उधारी वसूली तथा व्यक्तित्व विकास आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूर्व साक्षात्कार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है तथा प्रशिक्षण पश्चात आयोजित समारोह में महाप्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये जाते हैं।

स्वरोजगार प्रकरण बैंकों को भेजने से पहले उद्यमी को उद्यमिता प्रशिक्षण जरूर दिलाया जाना चाहिये, ताकि प्रकरण में संशोधित किये जा सकें क्योंकि प्रशिक्षण से वास्तविकता का पता चलता है।

इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए चुने गये लाभार्थियों को, विशेषकर वे लाभार्थी, जो कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहते हों, को ऋण प्राप्त करने से पहले उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस प्रशिक्षण की अवधि औद्योगिक इकाइयों हेतु 15 दिवस तथा सेवा एवं व्यावसायिक इकाइयों हेतु 10 दिवस की होगी, जिसमें मुख्यतः संबंधित सहायक विभागों की जानकारी, मार्केट सर्वे, परियोजना प्रपत्र, व्यक्तित्व विकास, टैक्स तथा मार्केटिंग एवं एकाउन्ट्स के बारे में प्रशिक्षण शामिल होगा। मुख्यतया इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रबंधकीय उद्यमिता कौशल के विकास से संबंधित निम्नलिखित पहलू शामिल किए जा सकते हैं –

1. संबंधित सहायक विभागों तथा उनकी योजनाओं की जानकारी।
2. लेखा के मुख्य तत्व तथा लेखा से संबंधित आधारभूत जानकारियाँ एवं विपणन से संबंधित सामान्य ज्ञान, जानकारी।
3. बाजार सर्वेक्षण की तकनीक व विधियाँ।
4. उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने से संबंधित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन।
5. व्यक्तित्व विकास, संप्रेषण कला आदि।

6. बैंकों द्वारा किसी इकाई को वित्त प्रदान करने की प्रक्रिया, विधि तथा इससे संबंधित अन्य पहलुओं से लाभार्थियों का परिचय। प्रशिक्षणार्थियों को उक्त प्रशिक्षण प्रायः तथा यथासंभव बैंक से ऋण स्वीकृत होने के उपरांत तथा ऋण वितरण के पूर्व प्राप्त करना होगा।

प्रदेश के युवकों को बाजार, प्रतिष्ठान, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाकर उनका कौशल विकास किया जाता है तो उनके रोजगार पाने के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। मानव संसाधन विकास में निवेश करके उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले नये रोजगार के अवसरों का लाभ भी यह वर्ग उठा सकता है। अतः शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना आवश्यक है ताकि बाजार की मांग के अनुरूप लोगों को तैयार किया जाकर विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की पहल पर अधिक से अधिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में पहली बार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति तैयार की गई है। शासन के विभिन्न विभागों के मंत्रियों एवं अधिकारियों द्वारा व्यापक विचार–विमर्श कर नीति को अंतिम रूप दिया गया है। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति सम्पूर्ण प्रदेश में एक नवम्बर 2007 से प्रभावशील होगी।

प्रमुख उद्देश्य –

प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर जाकर एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाकर सुनिश्चित रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ा जावे। प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि कर उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित कर मानव संसाधन का विकास करना जिससे रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि प्रतिस्पर्धा एवं उत्पादकता में वृद्धि हो। उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न कार्य किये जाने हैं –

1. पंजीयन – प्रदेश के कुशल एवं अकुशल, शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों को पंजीयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से फार्म प्रदाय कर करवाया जावेगा। नगरीय क्षेत्रों में पंजीयन जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से होगा। जिला रोजगार कार्यालयों में ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था हेतु वेबसाइट की सुविधा प्रारंभ की जावेगी।
2. परिचय पत्र – पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीयन कार्यालय में परिचय पत्र उपलब्ध कराया जावेगा। जिसमें व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।
3. जानकारी का संग्रहण एवं संधारण – ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये गये पंजीकरण की जानकारी जनपद स्तर पर संधारित की जावेगी।

विपणन सुविधाएँ

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 28 दिसम्बर 1961 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासकीय कंपनी के रूप में निम्नानुसार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी।

निगम के मुख्य उद्देश्य –

1. लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय, अर्ध–शासकीय विभागों, उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सुचारू रूप से प्रदाय करना।

2. औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल की आपूर्ति।

3. प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हथकरघा उद्यमियों के उत्पादों का मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से प्रदर्शन एवं विपणन सुविधा प्रदान करना।

4. निर्माण कार्य।

5. उद्योगों को परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

लघु उद्योग इकाईयों को विपणन सहायता –

म.प्र. शासन द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को विपणन सहायता देने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी कार्यक्रम के अंतर्गत 196 वस्तुएँ लघु उद्योगों से ही क्रय करने हेतु आरक्षित की गयी है। शासन के भंडार क्रय अधिनियम के अंतर्गत यह उत्पाद शासकीय विभागों द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय करने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार म.प्र. लघु उद्योग निगम जहाँ एक ओर मध्यप्रदेश शासन की क्रय संस्था के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

एम्पोरियम गतिविधि –

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर एम्पोरियम का संचालन कर प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाता है। निगम द्वारा इन एंपोरिमों के माध्यम से देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। आलोच्य अवधि में निगम जयपुर, उदयपुर एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है।

कच्चा माल गतिविधि –

निगम द्वारा प्रदेश की इकाईयों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कच्चा माल भंडारों के माध्यम से कच्चा माल उदाहरणार्थ लौह, इस्पात, पिग आयरन इत्यादि का प्रदाय किया जाता है। उदारीकरण के दौर में यह गतिविधि कठिनाई से गुजर रही है, परंतु निगम द्वारा यह भरसक प्रयास किये जा रहे हैं कि इस गतिविधि को बिना लाभ–हानि के संचालित किया जावे। निगम के भंडारों द्वारा पालीमर प्रोडक्ट्स का भी विक्रय किया जा रहा है तथा सीमेंट प्रदाय एवं ब्रास स्क्रेप के विक्रय का कार्य भी हाथ में लिया गया है।

संपदा एवं निर्माण गतिविधि –

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख–रखाव का कार्य सौंपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया। कालांतर में इस क्षेत्र में संस्थानों के प्रवेश करने के कारण निगम को वर्तमान में यह कार्य नहीं मिल रहा है। वर्तमान में निगम द्वारा शासन के अन्य विभागों जिसमें आदिवासी विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास निगम, रेशम संचालनालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, केंद्रीय नवोदय विद्यालय समिति सम्मिलित है के निर्माण कार्य हाथ में लेकर इस गतिविधि को संचालित किया जा रहा है।

तकनीकी गतिविधि –

तकनीकी विभाग द्वारा वस्तुओं के विशेष रूप से तैयार करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से तकनीकी विभाग द्वारा वस्तुओं को प्रदाय करने के पूर्व निरीक्षण किया जाता है। निगम द्वारा इंदौर एवं जबलपुर में संचालित प्रयोगशालाओं में लघु उद्यमियों के उत्पादों का परीक्षण उचित दरों पर किया गया है तथा उद्योगों के कर्मचारियों को परीक्षण प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

ई–टेंडरिंग सुविधा –

हाल ही में लघु उद्योग निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी का सदुपयोग कर ऐसा आदर्श पोर्टल विकसित किया है जो लघु उद्यमियों के लिए वरदान कहा जा सकता है। निगम के इस प्रयास के टेंडर की चली आ रही लंबी चौड़ी प्रक्रिया ही बदल दी है इसे नाम दिया गया है ई–प्रोक्योरमेंट अर्थात् क्रय प्रक्रिया के लाभों को सभी तक पहुँचाने का सरलतम माध्यम है।

रीवा में विपणन की सुविधा के लिए विभिन्न गतिविधियों में से एक गतिविधि के रूप में एम्पोरियम खुला है जिसमें यहाँ के लघु उद्योगों से उत्पादित उत्पादों व साड़ियाँ आदि को रखकर विक्रय की सुविधा दी जाती है। यह मृगनयनी एम्पोरियम अपना बाजार में स्थित है।

समस्याओं के अध्ययन एवं सुझाव

उद्यमियों को वृहद्, लघु एवं कुटीर सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने के पश्चात्, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ कई प्रकार की होती हैं। सामान्य रूप से उद्योगों की समस्याएँ मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं–1. बाह्य समस्या, 2. आंतरिक समस्या

बाह्य कारणों में वे कारण होते हैं जो औद्योगिक इकाईयों के वश में नहीं होते हैं। इन पर इकाई विशेष का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें आधारभूत समस्याएँ जैसे बिजली की आपूर्ति में कमी, कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति मांग की कमी, साख का अभाव और सरकारी नीतियाँ प्रमुख हैं। आंतरिक कारणों में वे कारण आते हैं जो इकाई स्तर पर पैदा होते हैं, इसलिए प्रत्येक इकाई में इसके संदर्भ में भिन्नता भी हो सकती है। अतः इनका हल इकाई स्तर पर ही निकाला जा सकता है, ये कारण उत्पादन प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था से जुड़े होते हैं।

शोधार्थी द्वारा अध्ययन करने पर उद्योगों की विभिन्न समस्याएँ सामने आई।

श्रम की समस्या –

सामान्यतः लघु एवं कुटीर उद्योग असंगठित क्षेत्र के रूप में होते हैं तथा उसमें कार्य करने वाले श्रमिक भी प्रायः अपनी सुविधाओं व मजदूरी आदि के संबंध में संगठित नहीं होते हैं तथा यही असंगठन की स्थिति इन श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि इसके कारण इनकी कोई निश्चितता नहीं होती हैं तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी आती है, क्योंकि इन असंगठित लघु उद्योगों में उन्हें प्रशिक्षण आदि सुविधाओं का भी अभाव होता है जिससे श्रमिकों में असंतोष बना रहता है और लघु उद्योगों में श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

कच्चे माल की समस्या –

उद्योगों में चाहे वे वृहद, लघु व कुटीर उद्योग हो सभी कच्चे माल की पूर्ति के स्थानीय स्त्रोत पर आधारित होते हैं। रीवा जिले के लगभग 80 प्रतिशत इकाईयों अपने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए स्थानीय स्त्रोतों पर निर्भर होती हैं और यही निर्भरता इनकी समस्या बन जाती है, इकाई को यदि कच्चा माल उपलब्ध भी हो जाता है तो उनके संग्रहण एवं भंडारण सुविधाओं का अभाव भी जिले में है। यदि कच्चा माल बाहर हो आता है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए उसे कई कठिनाईयाँ जैसे सड़क, परिवहन का सामना करना पड़ता है।

वित्त की समस्या –

विभिन्न समस्याओं में से एक समस्या वित्त की समस्या भी है, रीवा जिले में न तो सरकार ने और न ही उद्योगपतियों ने कभी भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं लगाया। यहाँ पहली योजना से लेकर अब तक उद्योगों एवं खनन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में देरी होने के कारण उद्यमियों में निराशा की भावना भी आ जाती है, ऐसी स्थिति में बेरोजगार युवक जो नए उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए यदि वित्तीय बैंक ऋण देता भी है तो मांगी गई राशि में कभी–कभी कटौती भी कर देती है। साथ ही जिले में स्थापित बीमा कंपनियों का भी औद्योगिक विकास में कम योगदान है।

यातायात की समस्या –

उद्योग स्थापित होने पर उसके पास कच्चे माल को मांगने, उत्पादित माल को विक्रय आदि की समस्या उद्यमी के सामने आती है क्योंकि कुछ समय पहले रीवा जिले में यातायात के साधनों, सड़क–परिवहन, रेल परिवहन आदि का अभाव बहुत ज्यादा था, परन्तु वर्तमान में परिवहन संबंधी समस्याओं में कुछ कमी आई है रीवा वर्तमान में रेल लाइनों से जुड़ गया है जिससे यहाँ स्थापित वृहद् उद्योग जे.पी. सीमेन्ट, विन्ध्या आदि में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे बाहर से आसानी से मंगाया जाता है।

शक्ति की कमी –

शक्ति व संसाधन म0प्र0 में प्रचुर मात्रा में थे, परन्तु छत्तीसगढ़ के बन जाने के कारण संसाधनों की अपेक्षाकृत कमी हो गई जिसके कारण शक्ति की मांग व पूर्ति में 20 प्रतिशत कमी पाई गई है तथा इसी कारण रीवा में भी शक्ति और संसाधनों में थोड़ी कमी आई है। जिससे कुछ कठिनाईयाँ उद्यमी के सामने आती हैं।

सरकारी नीतियों का अभाव –

रीवा जिले औद्योगिक विकास में सरकारी नीतियों के न होने के कारण यहाँ के औद्योगिक विकास में समस्याएँ सामने आती है तो निम्न प्रकार है यहाँ करीब 4–6 घंटे बिजली कटौती होने के कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। विशेषकर उन इकाईयों पर जो ऋण पर निवेशित की गई है। यहाँ गंदगी, टूटी सड़कें, प्रदूषण नियंत्रण व नाली की उचित व्यवस्था नहीं है, बेरोजगार युवकों के लिए प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता कार्यक्रम न होने से नवयुवकों में उद्यमशीलता की कमी आती है। पंचायतों, जिला पंचायतों व अन्य स्थानीय निकायों की भूमिका औद्योगिक विकास में नगण्य है। लघु, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग की व्यापकता एवं विविधता को देखते हुए इस क्षेत्र में विकास की अल्पकालीन नहीं बल्कि दीर्घकालीन ठोस नीति की आवश्यकता है।

सुझाव –

रीवा जिले की आर्थिक व सामाजिक केन्द्र पर राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के अनुसार इन उद्योगों का विकास तो हो रहा है, लेकिन इन इकाईयों द्वारा विकास के मार्ग में चलने पर विभिन्न समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है।

शोधार्थी द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।

1. वित्त संबंधी समस्याओं के उपाय के लिए जिले में सिड़वी के लघु औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियों के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। जिससे उद्यमी इसका लाभ उठा सके। सिड़बी का 40 प्रतिशत निवेश लघु एवं कुटीर क्षेत्रों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए अलग से कोष बनाए जाएं तथा इन उद्योगों को पुनः स्थापित करने के लिए एक ''पैकेज'' बनाया जाना चाहिए तथा क्रेडिट व टर्म लोन में वृद्धि भी की जानी चाहिए।

2. किसी भी लघु उद्योग व कुटीर उद्योग के संचालन में वहाँ पर कार्यरत श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः श्रमिकों तथा उद्यमी दोनों के मध्य संबंध अच्छे होने चाहिए। इसके लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक, मजदूरी, बोनस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि श्रमिक प्रशिक्षित न होने के कारण उचित तरीके से कार्य नहीं कर पाता है तो उसे प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। ''जिला उद्योग केन्द्र'' अथवा शासन द्वारा लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को ''पहचान पत्र'' जारी किए जाते हैं, ''न्यूनतम मजदूरी'' निर्धारित की जाती है। इन सभी बातों की जांच की जानी चाहिए।

3. जिले में स्थापित लघु उद्योगों में कच्चे माल की समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में कृषि उपज मंडी कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए उत्तम किस्म तथा सस्ती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराए, प्रत्येक जिले में सिडबी की गतिविधियों का विस्तार किया जाए तथा इसके माध्यम से स्थापित इकाइयों के कच्चे माल तथा विपणन के दायित्व का निर्वहन किया जाए।

वर्तमान में लघु, कुटीर उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई औद्योगिक नीतियाँ हैं, सन् 1956 के बाद से 1991 तक विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ आवश्यकतानुसार बनाई गई एवं संशोधित की गई परन्तु शासकीय नीतियों में लगातार परिवर्तनों के कारण उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में इन उद्योगों को कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरना होता है, जिससे निपटने के लिए सरकारी संरक्षण एवं प्रोत्साहन की विशेष आवश्यकता होती है।

यातायात की समस्या को दूर करने के लिए जिले में रेल्वे व सड़क लाइनों का विस्तार कर अन्य जिलों से जोड़ना चाहिए जिससे कच्चा माल आसानी से लाया जा सके तथा उत्पादित माल के विपणन में भी आसानी हो।

इस प्रकार से विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है।

सन्दर्भ–

1. विकास अग्रवाल : लेटेस्ट प्राफीटेबल होम कॉटेज एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज – हंस कान्सलटेन्सी ब्यूरो नई सड़क, दिल्ली।

2. गुप्ता, सुनील एवं चतुर्वेदी, राजीव : व्यावसायिक वातावरण एंव उद्यमिता, महावीर प्रकाशन, दिल्ली–2013

3- प्रो. शुक्ला, त्रिभुवन : उद्यमिता विकास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 2015

4. Behari, Bipin 1976, "Rural Industrialization in India' Vikash Publishing House, Pvt. Ltd.

5. Sarkar, Tamal (2009) Cluster and Cluster Development Yojana November 2009, Page 9

6. Venkatesh S. Muthiah. "SMEs in India: Importance and Contribution Asian Journal of Management Research 2012(2): 3-34

7. उद्योग व्यापार पत्रिका अगस्त 2012 इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली